''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2002—श्रावण 25, शक 1924

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी-4221/944/2002/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6-1/2001/54-1 भोपाल, दिनांक 17-1-2001 द्वारा अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल की बैठक दिनांक 3 सितम्बर, 2001 में लिये गये निर्णय अनुसार शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी जाति को पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 89 में सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :—

जाति का नाम (1)	जाति का परम्परागत व्यवसाय (2)	कैफियत (3)
शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी	मदिरा बनाना एवं बेचना	यह जाति मुख्यतः रायपुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ जिलों में पाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. **द्विवेदी**, संयुक्त सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक [illegible]

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010 2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(अधिकार से प्रकाशित)

[illegible] शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010—आषाढ़ 11, शक 1932

विषय—सूची

[illegible] (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, [illegible]

[illegible]

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) [illegible] सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2010

क्रमांक ई 01-01/2010/1/2.—श्री तपेश झा, (भा.व.से.), वन संरक्षक, रायपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए पर्यटन विभाग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

2. श्री तपेश झा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), सचिव, खेल एवं युवक कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, [illegible] न्यास एवं [illegible] विभाग एवं प्रबंध.संचालक, छ. ग. पर्यटन मण्डल केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

Raipur, the 2nd June 2010

F. No. 5656/D-1264/XXI-B/C.G./2010.—In compliance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 1022 of 1989, All India Judges Association Vs Union of India and others dated 07-10-2009, the State of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the department's order No. 13040/XXI-B/C.G./06, dated 31st October, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said order,—

In para (12), for the words "Special Allowance" wherever they occur the words "Special Pay" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2010

क्रमांक 3005/1265/2010/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में राज्य शासन को विनिर्दिष्ट किया जाता है.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक/एफ 10-16/25-3/09/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 30 पर अंकित "गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास" के पश्चात् "नाथयोगी" स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक ई 1-1/2010/1/2.—श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) अनुविभागीय अधिकारी, [illegible] रायगढ़ की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ-1-5/25-2/2003/आजावि.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में, अधिनियम की निम्नांकित धाराओं के तहत समक्ष में अंकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करता है.

क्र.	वक्फ अधिनियम की धारा	नाम व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है
1.	धारा 14 (1) (ख) (ii)	श्री मोहम्मद अकबर, विधायक, के. के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
2.	धारा 14 (1) (ख) (ii)	श्री बदरुद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाई नगर
3.	धारा 14 (1) (ख) (iii)	श्री फैजल रिजवी, अधिवक्ता, इंडियन काफी हाउस के पीछे, जी.ई. रोड, रायपुर.
4.	धारा 14 (3) [धारा 14 (5) की पूर्ति हेतु]	श्री शाहिद हुसैन, अधिवक्ता, गोलछा काम्पलेक्स, सी/103, नलघर चौक, रायपुर.

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2010 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ-10-17/25-3/2009/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 39 में सम्मिलित "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवंशी, चन्द्रकार, चंद्राह्, कुंभी, गवैल (गमेल) सिरवी" के पश्चात् "कुन्बी" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/एफ 5-23/2004/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-7-2009 की कंडिका 13 तथा 14 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित करता है :—

13 (1) राज्य कैम्पा का शासी निकाय निम्नानुसार होगा :—

(i)	माननीय मुख्यमंत्रीजी	-	अध्यक्ष
(ii)	माननीय वन मंत्रीजी	-	सदस्य
(iii)	माननीय वित्त मंत्रीजी	-	सदस्य
(iv)	मुख्य सचिव	-	सदस्य
(v)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन	-	सदस्य सचिव
(vi)	प्रमुख सचिव, वित्त	-	सदस्य

"रजिस्टर्ड पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010—आश्विन 2, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) [illegible] सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) [illegible] प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) [illegible] अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) [illegible]

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 4-2/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. पी. शर्मा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ [illegible] बिलासपुर को दिनांक 09 अगस्त 2010 से 13 अगस्त 2010 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश [illegible] तथा अवकाश पूर्व दिनांक 07 एवं 08 अगस्त 2010 तथा अवकाश पश्चात् 14 एवं 15 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश [illegible] अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक एफ-10-2/25-2/09/आजावि.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 60 में सम्मिलित "मोवार" के पश्चात् "मौवार" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक एफ-10-14/25-2/10/आजावि.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 20 में सम्मिलित "धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक" के पश्चात् "बरेठ" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-26/2010/16.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 11 नियम, 2 (ज) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 11 एवं नियम, 14 के अधिकारों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अधिसूचना जारी करता है :—

"सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जो उप श्रमायुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, उपकर निर्धारण हेतु अपीलीय प्राधिकारी होगा"

उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-27/2010/16.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 210 (1) (ज) (I) में "उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा या सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा" अंतर्स्थापित किया जाता है.

उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

6/10/10

डाक शुल्क में छूट
सहायक डाक अधीक्षक

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2010—आश्विन 9, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—**डॉ. बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से.** (1993) आयुक्त, आदिवासी विकास, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, सह-संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. **श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से.** (1997) कलेक्टर, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-10-11/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के क्रमांक 68 में सम्मिलित "रजभर" के पश्चात् "राजभर" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-10-13/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के स क्रमांक 39 में सम्मिलित "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुलमी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, ग (गमैल), सिरवी" के पश्चात् "चंदनाहू, चन्नाहू" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-19-53/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के स क्रमांक 27 में सम्मिलित "गुसाई, गोस्वामी" के पश्चात् "गोसाई" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-19-54/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के स क्रमांक 01 में सम्मिलित "अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवा, गव ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, गवाली, लिंगायत" के पश्चात् "गोपाल" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-2/2009/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला सरगुजा के विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 05 भटगांव में उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि 01 अक्टूबर, 2010 दिन शुक्रवार को मतदान हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 01 अक्टूबर, 2010, दिन शुक्रवार को उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवकाश घोषित किया जाता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अव घोषित किया जाता है. साथ ही जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कंजाम, उप-सचिव.